प्रेस नोट **दिनांक 29.03.2026**

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 07 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 57 मामलों में से 20 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 29.03.2026 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 57 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 20 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 07 दंपति नाजिया/आमिर, तन्नू/पवन वर्मा, बाला/राकेश, अनीता/वीरेन्द्र, गविजय/सोनी, सलमा/हामिद, सोनी/श्रवण हैं। आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 12 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी तथा 01 मामले में एफआईआर हुआ। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 12.04.2026 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय ,सर्वेश दूबे ,शहिद पैरिस रहे ।साथ में मन्जू सिंह इन्स्पेक्टर ,समरजीत यादव एस आई ,महिला आरक्षी राजलक्ष्मी तथा ,करिश्मा रहीं।

07 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में विभिन्न थानों द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **थाना दक्षिण टोला** पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. शकील पुत्र शहीद निवासी हकीकतपुरा थाना दक्षिण टोला 2. विजयी पुत्र स्व0 राधा किशन, 3. दुखन्ती पुत्र स्व0 राधा किशन निवासीगण डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, **थाना मधुबन पुलिस** द्वारा वारंटी अभियुक्त विजयी हईजन निवासी हरीलाल का पूरा थाना मधुबन जनपद मऊ, **थाना मुहम्मदाबाद पुलिस** द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. कैलाश पुत्र शिवनाथ चौरसिया, 2. टुनटुन जोगी पुत्र लौटन निवासागण करहा थाना मुहम्मदाबाद तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा वांरटी अभियक्त रामजीत चौहान पुत्र सोम्मर चौहान निवासी विजपुरा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ग्राम काझाखुर्द मे निर्माण कार्य को लेकर मारपीट करना जिसमे गंभीर रुप से घायल 01 व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना।
घटना मे संलिप्त 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व उनके निशां देही से घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक बांस की लाठी बरामद होना-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री क्रिस राजपूत के कुशल निर्देशन मे व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 29.03.2026 को 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2), 333 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक बांस की लाठी बरामद होना।

उल्लेखनीय है कि ग्राम काझा खुर्द मे दिनांक 26.03.2026 को निर्माण कार्य के विवाद को लेकर लाठी डण्डा आदि से लैश होकर गम्भीर मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके क्रम मे दिनांक 26.03.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2), 333, 74, 309(6) बीएनएस बनाम नन्दलाल उर्फ पिन्टू आदि 23 नफर पंजीकृत किया गया। अस्पताल मे इलाज के दौरान मारपीट से गम्भीर रूप से घायल हरगोविन्द पुत्र सगुवर निवासी खाजापुर पोस्ट पलिगढ़ जिला मऊ की दिनांक 27.03.2026 को मृत्यु हो गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम विवेचना मु0अ0सं0 111/2026 धारा 191(2), 109(1), 103(1), 115(2), 352, 351(2), 333 बीएनएस बनाम आदि 23 नफर के विरूद्ध सम्पादित की गयी। जिसके क्रम मे दिनांक 28.03.2026 को 04 नफर अभियुक्तो को पहले ही गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है , शेष वाछिंत अभियुक्तो की तलाश व गिरफ्तारी हेतु थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम मे नि0अ0 घनश्याम यादव मय हमराह का0 विशाल वर्मा व का0 मनीष यादव के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त विश्वनाथ पुत्र खखनू निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 68 वर्ष को ग्राम काझाखुर्द हरिजन बस्ती के पास से समय करीब 9.05 बजे दिनांक 29.03.2026 को अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 191(2), 109(1), 103(1), 115(2), 352, 351(2), 333 बीएनएस मे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक बांस की लाठी बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त –

1. विश्वनाथ पुत्र खखनू निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र करीब 68 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. ग्राम काझाखुर्द मे गम्भीर मारपीट की कारित हुयी घटना मे तथा मृतक हरगोविन्द के हत्या की घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक बांस की लाठी बरामद होना।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1- नि0अ0 घनश्याम यादव
2- का0 विशाल वर्मा
3- का0 मनीष यादव

01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.03.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा पप्पू मल के ईट भट्टे के पास से मु0अ0स0 96/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त कन्हैया पुत्र जयप्रकाश निवासी जयपुर थाना खानापार जनपद देवरिया के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. कन्हैया पुत्र जयप्रकाश निवासी जयपुर थाना खानापार जनपद देवरिया

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु96 0स0अ0/4 धारा 26/आर्म्स एक्ट 25

गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0 नि0 लाल साहब गौतम
2. का0 शिव कुमार यादव
3. का0 लालजी गुप्ता

बीजा बनाने के नाम पर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 15,000/- (पन्द्रह हजार) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण

में साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये बीजा बनवाने के नाम पर अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 15,000/- (बीस हजार) रुयपये पीडित सूधीर कुमार पाण्डेय पुत्र देवेन्द्र पाण्डेय निवासी फातिमा हॉस्पिटल चांदमारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की कुल 15,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामकर्ता-

1. प्र0नि0 संजय सिंह
2. नोडल उ0नि0 विकास बर्मा
3. म0 उ0नि0 कोमल कसौधन
4. का0 आशीष द्विवेदी
5. म0क0 शिखा तिवारी
6. का0 धर्मेन्द्र पुष्पाकर